न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उज्जैन

तारीख हुक्म	मु. न. 133/2024 — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — रामरती बनाम अज्ञात [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
10/04/25	पक्षकार हाजिर. पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 15/4/25 को पेश हो।	
15/4/25	पत्रावली पेश हुई। आवे० उभयपक्ष उपस्थित पश्चात् वादी ओर जवाब दिनांक 28/4/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उज्जैन (म.प्र.)	
28/4/25	पत्रावली पेश हुई। आवे० उभयपक्ष उपस्थित अनावेदक की ओर से जवाब पेश किया गया [illegible] पत्रावली वादी बहस दिनांक 8/5/25 को पेश हो।	
8/5/25	पत्रावली पेश हुई। आवे० उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली वादी बहस दिनांक 8/9/25 को पेश हो।	
8/9/25	पत्रावली पेश हुई। आवे० उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पश्चात् वादी आदेश दिनांक 16/5/25 को पेश हो।	
16/5/25	पत्रावली पेश हुई। आवे० उभयपक्ष उपस्थित प्राप्त पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० [illegible] है। नम्बर से पत्रावली फैसला शुमार हो नम्बर से कम होकर अभिलेख दाखल हो। उपखण्ड अधिकारी उज्जैन (म.प्र.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 199/2024

1. रामरती पत्नि पुष्कर सिंह जाति गूजर निवासी चुरारी गूजर तहसील उच्चैन। .....प्रार्थीया

बनाम

1. गुड्डी देवी पत्नि गिर्राज सिंह जाति गूजर निवासी चुरारी गूजर तहसील उच्चैन।
2. समयसिंह पुत्र रामजीलाल जाति गूजर निवासी चुरारी गूजर तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थीया
2. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थी सं0 1
3. श्री नरेन्द्र पाल एडवोकेट अप्रार्थी सं0 2

निर्णय दिनांकः—16.05.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 554/781/0.83, 555/3.70है0 बाके ग्राम गहलउ तहसील उच्चैन में स्थित है। जिसमें वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 12 राजस्व रिकार्ड के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। उक्त आराजी के दोनों खसरा नम्बर आपस में सटे हुये है जिनका आपसी मनवट बटवारा काफी समय पूर्व कर लिया गया था लेकिन राजस्व रिकार्ड में अमल में नही लाया गया ऐसा करने की उस समय कोई आवश्यकता नहीं पडी तथा पूर्व मनवट बटवारे के मुताबिक राजस्व रिकार्ड हिस्सा के अब तक शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है लेकिन अब आराजी की बढती कीमतों के कारण सहखातेदारान की नीयत में खराबी आ गई है और उक्त विवादित आराजी के पूर्व मनवट बटवारे को लेकर आये दिन झगडा होता रहता है। वादिनी दिनांक 14.11.2024 को अपनी खडी फसल को देखने गई तो अप्रार्थीगण मौके पर आ गये एवं मनवट बटवारे को मानने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 12 ने तो वादिनी के निवेदन पर मनवट बंटवारे को मानने लिये राजी हो गये कि आगामी समय में दुबारा बटवारा कर लेंगे लेकिन अप्रार्थीनी ने प्रार्थीया की बात को मानने से इन्कार कर दिया एवं आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीया को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीया को पूर्वमनवट के इतर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड अच्छे में से अच्छा तथा बुरे में से बुरा सिद्धांत के आधार पर विभाजन कराये जाने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु प्रार्थीया पूर्व मनवट के आधार पर अप्रार्थीया को किसी भी आशय की अस्थाई निषेधज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

से पाबंन्द करा पाने की अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं0 2 ने जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी उक्त प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 2 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है क्योंकि खसरा नम्बर 555 में प्रार्थीया का कोई हिस्सा शेष नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीया रामरती ने आराजी खसरा नम्बर 555 से अपना सम्पूर्ण रकवा मुझ अप्रार्थी सं0 2 को जरिये वयनामा दिनांक 17.09.2014 को विक्रय कर दिया है और जब अपना हिस्सा सम्पूर्ण विक्रय कर दिया है तो उक्त प्रार्थना पत्र को लाने का कोई बैधानिक अधिकार प्रार्थीया को नहीं है। मौके पर वयनामा दिनांक 17.09.2014 से लेकर आज तक प्रार्थीया का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। दिनांक 14.11.2024 को किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई बल्कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं0 1 की मिलीभगत से जानवूझकर पेश किया गया है ताकि मुझ अप्रार्थी संख्या 2 का वयनामा के आधार पर कोई दाखिला खारिज न हो सके। पूर्व में भी वादनी व अन्य प्रतिवादियों ने मिलकर एक दावा एवं प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का पेश किया था जो कि वादिनी की पुत्री सीमा ने पेश किया था उक्त मुकदमा सीमा बनाम रामजीलाल के नाम से है जिसमें आगामी तारीख पेशी 19.02.2025 नीयत है एवं उक्त प्रकरण के साथ पेश प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मु0नं0 18/2016 को न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 10.12.2024 को फैसल कर स्टे समाप्त कर दिया था। अब उक्त दावा प्रार्थीया द्वारा न्यायालय श्रीमान को गुमराह करने एवं झूठे तथ्यों के आधार पेश किया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है एवं उक्त आराजी का कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थी द्वारा इस आराजी के 1/3 भाग को खरीद किया है ना कि सम्पूर्ण आराजी को खरीद किया है। मौके पर प्रार्थीया को कोई कब्जा नहीं है इसको लेकर अप्रार्थीगण के द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किये गये है। अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी से पक्षकार मुकदमा बने है इस कारण इनको वादकारण पैदा होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अप्रार्थीगण को रिकार्ड एवं मौके की टीआई से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है

अभिभाषक अप्रार्थीया सं0 1 ने निवेदन किया कि उनके जबाव प्रार्थना पत्र को ही बहस माना जाये। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है की प्रार्थीया विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार ही नहीं है तो किस आधार पर विभाजन कराना चाहते है। वादिया एवं प्रति0 संख्या 1 मिले हुये है एवं ये लोग अप्रार्थी संख्या 2 का नामान्तरण खुलने से रूकबाना चाहते है। प्रार्थीया द्वारा उक्त वाद पत्र केवल नामान्तरण की कार्यवाही को रूकवाने हेतु पेश किया है इनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खुद को खातेदार काश्तकार बताया है जबकि वयनामा के पश्चात इनका टाईटल ही नहीं है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जवाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विपयवरतु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी का वेचान प्रार्थीया के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.09.2014 से अप्रार्थी सं0 2 को कर दिया था। जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीया के हक निहित होना प्रतीत नही होता है। इस प्रकार प्रकरण में मजवूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है। जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सवूत लेकर ही किया जा सकता है।

प्रकरण में अव प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी में खातेदार काश्तकार होने आधार पर कानूनी विभाजन चाहा है एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद करवाना चाहा गया है परन्तु अपनी उक्त आराजी का वेचान प्रार्थीया द्वारा दिनांक 17.09.2014 को अप्रार्थी सं0 2 के लिये किया जा चुका है। प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित नहीं है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि का बेचान स्वयं प्रार्थीया द्वारा दिनांक 17.09.2014 को अप्रार्थी सं0 2 के लिये किया जा चुका है। ऐसी स्थित में उक्त आराजी में प्रार्थीया के कोई हक शेष नहीं रहते है। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जमावंदी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि उक्त आराजी में रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथाबत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से प्रार्थीया को होने वाली असुविधा की तुलना में अप्रार्थी सं0 2 को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुबिधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीया का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट नहीं होने, प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति प्रतीत नहीं होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीया को हुई असुविधा की तुलना में अप्रार्थी सं0 2 को होने बाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर
उच्चैन (भरतपुर)